ग्राम पंचायत पनोग, विकास खण्ड शिलाई ज़िला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.04.2015 से 31.03.2018 तक
भाग-I

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने के उपरान्त व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5) सी(15) एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत, पनोग, विकास खण्ड शिलाई, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे;-

प्रधान

क्रमांक	प्रधान का नाम नाम	कार्यकाल
1	श्री दिउडू राम	01.04.15 से 22.01.2016 तक
2	श्री प्रताप सिंह	23.01.2016 से 31.03.18 तक

सचिव

क्रमांक	सचिव का नाम	कार्यकाल
1.	श्री गोपाल सिंह	01.04.2015 से 29.06.2016 तक
2.	श्री अनिल कुमार	30.06.2016 से 08.10.2017 तक
3.	श्री संजीव कुमार	09.10.2017 से 02.01.2018 तक
4.	श्री बलवीर सिंह	03.01.2018 से 31.03.18 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत, पनोग के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि (₹) लाखों में
1	रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान न करना	5	0.24
2	गृहकर की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	6(ii)	0.31
3	मोबाइल टावर शुल्क वसूली हेतु शेष	6(iii)	0.06
4	अनुदान राशी का उपयोग न करना	7	35.22
5	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना ही सामग्री का क्रय करना	8	8.43
6	जे.सी.बी भाड़े का अनियमित भुगतान	9	1.66

7	क्रय की गई सामग्री की स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना	10	----
8	निर्माण कार्यो पर खर्च राशि के तकनीकी मूल्यांकन से सम्बन्धित सूचना अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना	11(ii)	9.73
9	निर्माण सामग्री की मूल्यांकित प्रमात्रा से अधिक मात्रा की खरीद/उपयोग करने के कारण अनियमित व्यय	11(iii)	0.64
10	मनरेगा योजना के व्यय/भुगतान को रोकड़ बही में दर्ज न करना	12(i)	9.82
11	रोकड़ बही में दर्ज राशी व् ऑनलाइन फाइनेंसियल स्टेटमेंन्ट्स के अनुसार व्यय/भुगतान में भारी अन्तर	12(ii)	12.15
12	मनरेगा का अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना	12(iii)	----
13	बिना बिल/वाउचर के राशि का अनियमित आहरण	13	1.71
14	निर्माण सामग्री की खरीद पर अधिक भुगतान	14	0.02
15	बिल/वाउचर पर खरीदी गई सामग्री के पूर्ण विवरण दर्ज न होने के कारण सम्भावित अधिक भुगतान	15	0.10
16	नियमानुसार उचित टैक्स इनवॉइस/बिल प्राप्त न करके किया गया अनियमित व्यय/भुगतान	16	8.43
17	रोकड़ बही व् बिल/वाउचरस को प्रधान से सत्यापित/पारित करवाए बिना राशि का अनियमित आहरण/भुगतान	17	-----
18	प्रतिपादित नियमों की अवहेलना करके मस्ट्रोल का अनियमित भुगतान	18	0.92
19	फर्नीचर की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना	19	0.32
20	राजीव आवास योजना के लाभार्थियों के संकलित अभिलेख का अनुरक्षण न करना	20	0.65

भाग –दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत पनोग, विकास खण्ड शिलाई, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा अवधि 18.07.2018 से 30.07.2018 तक के दौरान ग्राम पंचायत पनोग के कार्यालय में किया गया। आय एवं व्यय के लेखाओं के विस्तृत अंकेक्षण हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है : –

वर्ष	**आय माह**	**व्यय माह**

2015-16	03/2016	04/2015
2016-17	06/2016	03/2017
2017-18	07/2017	07/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा तथा अंकेक्षण का दायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित है ।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत पनोग, विकास खण्ड शिलाई, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 आँका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, सिरमौर-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:जी.पी.(आडिट)/शिलाई/2018-19-12 दिनांक 30.07.2018 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत पनोग से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत पनोग की अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **{परिशिष्ट-1}** में भी दिया गया है : –

वितीय वर्ष	**अथ शेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्त शेष (₹)**
2015-16	383887.70	1136710.00	1520597.70	1086876.00	433721.70
2016-17	433721.70	7841629.80	8275351.50	5951023.50	2324328.00
2017-18	2324328.00	6325819.00	8650147.00	5127903.69	3522243.31

नोटः-1. सचिव ग्राम पंचायत पनोग द्वारा स्वयं के स्त्रोत का हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार पृथक से खाता-"क" खोलकर रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया है| अतः स्व: स्त्रोत का नियमानुसार पृथक से खाता-“क” न होने के कारण स्वः स्त्रोत से सम्बन्धित वितीय स्थिति अलग से तैयार नहीं की जा सकी I

नोटः-2. रोकड़ बही में मासांत/वर्षांत प्रारम्भिक व अंतिम शेष नहीं दर्शाए गए है अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 01/04/15 के प्रारम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का प्रारम्भिक शेष (opening balance) लिया गया ।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः वर्णित अनियमितता के कारण

रोकड़ बही (वितीय स्थिति) तथा बैंक के शेषों में दिनांक 31/03/2018 को निम्नविवरणानुसार **₹24,498.31** का अन्तर पाया गया, जिसका शीघ्र समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ नियमानुसार मिलान करना भी सुनिश्चित किया जाए :–

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	परिशिष्ट
1.	वितीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष	3522243.31	1
2.	बचत बैंक खातों अनुसार अन्तिम शेष	3546741.62	2
3.	कुल अन्तर	**24498.31**	

विभिन्न बचत बैंक खातों में जमा राशि का ब्यौरा

अनुदान	बैंक का नाम	बचत खाता नं	01.04.2015	31.03.2018 की शेष जमा (₹)
सामान्य निधि	HPSCB, Shillai	56810105522	68169.79	------
	HPSCB, Ronhat	57810102473	------	2858330.00
14th FC	SBOP, Panog	65253289227	------	274938.71
BRGF	HPSCB, Shillai	56810106805	279209.00	47279.00
SBM	SBOP, Panog	65279328214	------	306027.00
RAY	HPSCB, Ronhat	57810103738	------	52442.00
IAY	SBOP, Panog	55135570683	36508.91	7724.91
बैंक खातों में 01.04.15 तथा 31.03.18 को शेष राशि			**383887.70**	**3546741.62**

6 स्वयं स्त्रोत से प्राप्त आय

(i) आय की वसूली दरों/शुल्क को ग्राम सभा से अनुमोदित न करवाना

सचिव ग्राम पंचायत पनोग ने अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: GP. (Audit)/ Shilai/ Panog/ 2018- 19- 3 दिनांक 18.07.2018 के सन्दर्भ में पत्र क्रमांक:GP/ Panog /Shilai/ -2018-19-3 दिनांक 30.07.2018 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न करों व शुल्कों की वसूली निम्नलिखित दरों से की गई दर्शाई गई थी :–

नं	आय का साधन	दरें (₹)	विवरण
1.	गृहकर	20/-	2015-16
		20/-	2016-17
		20/-	2017-18
2.	मोबाइल टावर	सरकार द्वारा अनुमोदित	एक टावर एयरटेल कम्पनी
3.	दुकान किराया	-------	लागु नहीं
4.	भू-राजस्व	सरकार द्वारा अनुमोदित	एक राजस्व ग्राम
5.	विवाह पञ्जीकरण शुल्क	10/-	3 अक्टूबर, 2016 तक, तदुपरान्त
		200/-**{BPL 25/-}**	पञ्जीकरण 30 दिन के भीतर
		400/-**{BPL 50/-}**	पञ्जीकरण 90 दिन के भीतर
6.	प्रमाण पत्र शुल्क	10/-	---------
7.	शराब कर	सरकार द्वारा अनुमोदित	---------
8.	आय का साधन अन्य कोई साधन/देय शुल्क		---शून्य---

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त दरें नियमानुसार ग्राम सभा से अनुमोदित नहीं थी I इस सम्बन्ध में अब अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

(ii) गृहकर की बकाया राशि ₹0.31 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP.(Audit)/ Shillai/Panog/2018-19-3 दिनांक 18.07.2018 के सन्दर्भ में सचिव ग्राम पंचायत, पनोग ने पत्र क्रमांक:GP/Panog/Shillai/2018-19-23 दिनांक 30/07/2018 के क्रमांक 2 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31/03/2018 को निम्नतालिकानुसार गृहकर ₹30,960 की राशि वसूली योग्य शेष दर्शाई गई थी, जिसकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

वर्ष	**कुल परिवार**	**वार्षिक दर (₹)**	**कुल कर (₹)**	**प्राप्त राशि (₹)**	**शेष राशि (₹)**
01.04.15	वर्ष 2014-15 की गृहकर की वसूली योग्य शेष राशि				**11040/-**
2015-16	312	20/-	6240/-	------	17280/-
2016-17	326	20/-	6520/-	------	23800/-
2017-18	358	20/-	7160/-	------	30960/-
			गृहकर की वसूली योग्य शेष राशि		**30960/-**

(iii) मोबाइल टावर शुल्क ₹0.06 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP.(Audit)/Shilai/ Panog/2018-19-3 दिनांक 18.07.2018 के सन्दर्भ में सचिव ग्राम पंचायत पनोग ने पत्र क्रमांक:GP/ Panog/Shilai/2018-19-23 दिनांक 30/07/2018 के क्रमांक 3 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31/03/2018 को निम्नतालिकानुसार एयरटेल कम्पनी से मोबाइल टावर शुल्क **₹6,250** की राशि वसूली योग्य शेष दर्शाई गई थी, जिसकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए: –

One mobile tower of Airtel Company installed in the year 2006

Year	**Amount (₹)**	**Particulars**
2015-16	2500/-	Renewal Fees due @2500/- per year
2016-17	3125/-	Renewal Fees due @3125/- per year
2017-18	3125/-	Renewal Fees due @3125/-/- per year
Less:-	2500/-	Amount received during the year 2015-16
Net:-	**6250/-**	Amount realizable as on 31.03.2018

(iv) मांग एवं प्राप्ति पंजिका का संधारण न करना

सचिव, ग्राम पंचायत, पनोग द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 74 के प्रावधानों की अनुपालना करते हुए फार्म-10 पर वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाली सम्भावित आय से सम्बन्धित “मांग एवं वसूली पंजिका" का संधारण नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण गृहकर तथा अन्य शुल्कों से पंचायत को प्राप्त होने वाली आय वास्तविक प्राप्ति व शेष बकाया का पता नहीं लगाया जा सका और ऐसे में राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता |अतः उपरोक्त नियम की अनुपालना करते हुए “मांग एवं वसूली पंजिका” का संधारण करना सुनिश्चित किया

जाये ताकि पंचायत को प्राप्त होने वाली आय की स्थिति का तुरन्त बोध हो सके और किसी भी प्रकार के दुर्विनियोजन/हानि की सम्भावना को नकारा जा सके|

7 अनुदान राशि ₹35.22 लाख का उपयोग न करना

पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31/03/2018 तक अनुदानों से प्राप्त **₹35,22,243** की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि को स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण जहाँ धन का अवरोधन हुआ है वही ग्रामीणों को अनुदान राशि के समयानुसार उपयोग करने के फलस्वरूप होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान या सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उसी उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिस उद्देश्य हेतु इसे स्वीकृत किया गया है अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बंधित संस्था को किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹8.43 लाख की स्टोर/स्टॉक सामग्री का क्रय करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है जिसके अनुसार **₹1000** से अधिक तथा **₹50,000** से कम राशि के क्रय हेतु **कोटेशन्स (Quotations)** आमंत्रित किया जाना तथा **₹50,000** से अधिक राशि के क्रय हेतु **निविदा आमंत्रित(Tenders)** किया जाना अपेक्षित है, ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त हो सके| इसी तरह नियम 67(3)(a) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा क्रय समिति का गठन किया जाना भी अपेक्षित है जिसमें प्रधान, उप प्रधान, नामित दो वार्ड सदस्य तथा सचिव को सम्मिलित किया जाएगा परन्तु ग्राम पंचायत ने बिना उप समिति का गठन किये तथा नियमानुसार कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्य सामग्री का क्रय किया था, जोकि उक्त नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है जिसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक व्यय/क्रय विहित नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये : –

दिनांक	बिल सं0	आपूर्तिकर्ता का नाम	क्रय सामग्री का विवरण	राशि (₹)
		सामान्य निधि-{माह-04/2015}		
------	Cm-62	ठेकेदार तुलसीराम	दरवाजे खिड़की	10500/-
------	250	धर्म सिंह/खट्टर सिंह	284 किलो सरिया	12200/-
------	कच्ची रसीद	रतन सिंह/ सुन्दर सिंह	शटरिंग मात्रा----	7000/-
		सामान्य निधि-{माह-03/2017}		
21.02.17	GR-226	चौहान ट्रांसपोर्ट रौनहाट	232 बैग रेत	18560/-
23.02.17	GR-226	------do------	200 बैग बजरी	12000/-
05.03.17	2	जगदीश कुमार रौनहाट	700 किलो सरिया	31500/-
21.03.17	77	लायक राम पोजटा	100 बैग रेत	9000/-
22.03.17	78	------do------	100 बैग बजरी	9000/-
23.02.17	79	------do------	**18 चट्टे पत्थर**	**32400/-**

सामान्य निधि-{माह-07/2017}

------	कच्ची रसीद	गंगिया पुत्र वाख़ु	6 Cum पत्थर	4200/-
03.03.17	GR-40	रणसिंह ट्रेडिंग, रौनहाट	2 Cum रेत	4600/-
02.01.17	GR-37	------do------	164 बैग रेत	11480/-
03.01.17	GR-38	------do------	4 Cum बजरी	5600/-
04.01.17	GR-39	------do------	**25 चट्ठे पत्थर**	**25000/-**
25.06.17	009	रोहित भरद्वाज, ब्रदर्स	5 दरवाजे 2 खिड़की	45000/-
05.06.17	188	जगदीश क्लेट, ब्रदर्स	150बैग रेत	12000/-
09.06.17	191	------do------	80 बैग बजरी	4800/-

14th FC-{माह-03/2017}

04.03.17	1599	ठाकुर हार्डवेयर, शिलाई	30 बंडल पाइप	45675/-

BRGF-{माह-04/2015}

21.04.15	Cm-277	ठेकेदार तुलसी राम	40कुर्सियां 1 अलमारी	31500/-

SBM-{माह-03/2017}

17.02.17	GR-239	चौहान ट्रांसपोर्ट, रौनहाट	70 बैग रेत	5600/-
19.02.17	GR-240	------do------	34 बैग बजरी	2040/-
20.02.17	GR-243	------do------	8 Cum पत्थर	6400/-
12.02.17	GR-246	------do------	34 बैग बजरी	2040/-
23.02.17	GR-247	------do------	8 Cum पत्थर	6400/-
29.04.17	GR-249	------do------	70 बैग रेत	5600/-
15.02.17	GR-52	आर.एस.पोजटा,ट्रांसपोर्ट,	70 बैग रेत	5600/-
16.02.17	GR-53	------do-----	34 बैग बजरी	2040/-
17.02.17	GR-54	------do-----	8 Cum पत्थर	6400/-
20.02.17	GR-57	------do------	70 बैग रेत	5600/-
21.02.17	GR-58	------do-----	34 बैग बजरी	2040/-
22.02.17	GR-59	------do-----	8 Cum पत्थर	6400/-
21.02.17	GR-05	तारा ट्रांसपोर्ट, पनोग	70 बैग रेत	5600/-
22.02.17	GR-06	------do------	34 बैग बजरी	2040/-
23.02.17	GR-07	------do------	8 Cum पत्थर	6400/-

मनरेगा-माह{03/2017}

23.12.16	GR-156	चौहान ट्रांसपोर्ट, रौनहाट	2.65 Cum रेत	5936/-
24.12.16	GR-157	------do------	7 चट्ठे पत्थर	7000/-
05.01.17	GR-161	------do------	17Cum रेत@1760/-	29920/-
25.01.17	GR-162	------do------	20Cum रेत@1760/-	35200/-
25.10.16	101 to 113	------do------	13Cum रेत@2400/-	31200/-

मनरेगा-माह{07/2017}

23.05.17	GR-545	चौहान ट्रांसपोर्ट, रौनहाट	2.39 Cum रेत	5019/-
29.05.17	GR-548	------o------	23Cum रेत@2100/-	48300/-
27.05.17	GR-533	------do-----	20Cum रेत@1800/-	36000/-
23.05.17	GR-530	------do------	20Cum रेत@2800/-	56000/-
26.05.17	GR-532	------do------	20Cum रेत@2600/-	52000/-
22.05.17	GR-531	------do------	18Cum रेत@2100/-	37800/-
21.05.17	GR-529	------do------	20Cum रेत@2500/-	50000/-

07.2017	12GR	------do------	12x1.85Cum रेत	46620/-
			कुल योग	**₹843210**

9 जे.सी.बी भाड़ा ₹1.66 लाख का अनियमित भुगतान

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु बिना निविदाएं आमन्त्रित किए जे.सी.बी को प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर ठेकेदारों को निम्नतालिकानुसार **₹1,65,500** का भुगतान दर्शाया गया था, जोकि उपरोक्त **पैरा संख्या:8** में वर्णित नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए I

(ii) इसके अतिरिक्त जे.सी.बी द्वारा करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित तकनीकी प्राक्कलन/स्वीकृति पत्र, तथा सम्बन्धित कनिष्ट अभियंता माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई, जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा उक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

(iii) उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न ठेकदारों को जे.सी.बी भाड़े का भुगतान करते समय कोई भी संवैधानिक कटौतियां जैसे आयकर, सेल्स टैक्स, लेबर सेस तथा प्रतिभूति राशि इत्यादि की कटौती नहीं की गई है, जबकि नियमानुसार सम्बंधित ठेकेदार से संवैधानिक कटौतियां की जानी वांच्छित थी| अतः उक्त कटौतियों को सम्बंधित बिल से न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतियां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए : –

बिल नं/दिनांक	फर्म/ठेकेदार का नाम	घन्टे	दर (₹)	राशि (₹)	रोकड़ बही पृष्ठ सं0
	BRGF-माह{04/2015}				
	कार्य:-निर्माण L/R किणु शिरमाल				
बिल/वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गए	रोकड़ बही में दर्ज नहीं	38	950/-	36100/-	25
	------do------	50	950/-	47500/-	26
	14th FC-माह{03/2017}				
	कार्य:-मुरम्मत L/R गैगाहट से पनोग				
180/ 10.02.17	पराशर कंस्ट्रक्शन	36	900	32400/-	4
	कार्य:-मुरम्मत L/R गाँव किणु				
GR-152/ 10.03.17	शर्मा ट्रांसपोर्ट सिधोटी	55	900/-	49500/-	5
	चयनित माह में कुल भुगतान			**165500/-**	

(iv) निर्माण कार्य मुरम्मत L/R गाँव किणु हेतु शर्मा ट्रांसपोर्ट सिधोटी को उनके **GR संख्यां:152** दिनांक 10.03.2017 पर दर्शाया गया ₹49,500 का भुगतान गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या:16 में वर्णित नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है| अतः उक्त कार्य से सम्बन्धित उचित बिल नियमानुसार प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु

प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा भुगतान उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

10 क्रय सामग्री की स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त/क्रय की गई सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु उक्त पैरा संख्या: 8 में दिए गए विवरणानुसार क्रय विभिन्न मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की गई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नही किया जा सकता I अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा क्रय की गई प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए और भविष्य में स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव विहित नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

11 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितताएं

(i) निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 में वर्णित प्रावधानों के दृष्टिगत ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित अधिकतर विकास कार्यो से सम्बन्धित प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन, व तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र व उपयोगिता प्रमाण-पत्र {कनिष्ठ अभियन्ता स्तर के समस्त निर्माण कार्यों}, इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गए, जिनकी अनुपस्थिति में अंकेक्षण अवधि के दौरान निष्पादित किये गए निर्माण कार्यों पर खर्च लाखों रूपये के व्यय/भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सकाI अतः उक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए I

(ii) निर्माण कार्य खर्च पर ₹9.73 लाख का बिना तकनीकी मूल्यांकन के व्यय/भुगतान करना

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP(Audit)/Shillai/Panog/ 2018-19-2 दिनांक 18/07/2018 के सन्दर्भ में सचिव ग्राम पंचायत पनोग के पत्र क्रमांक:GP/Panog/Shillai/2018-19-22 दिनांक 30.07.2018 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान चयनित माह में विभिन्न विकास कार्यो पर **₹9,73,100** खर्च किये गए जिसका भुगतान निर्माण कार्यों के मूल्यांकन के बिना ही किया दर्शाया गया है जोकि अनियमित है I अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा निर्माण कार्यों का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी से अपेक्षित मूल्यांकन करवाना सुनिश्चित करते हुए यदि उक्त कार्यों पर दर्शाया गया व्यय /भुगतान तकनीकी प्राक्कलन/मूल्यांकन अनुसार अनियमित/अनुचित पाया जाता है तो उसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए: –

अनुदान	अमुल्यंकित भुगतान (₹)	विकास कार्य सूची क्रमांक
GENERAL HEAD	349600/-	10, 11 व् 12
14th FC	258400/-	7, 8 व् 9
SBM	237500/-	1 से 6
BRGF	127600/-	क्रमांक 16 पर
MGNREGA	**समस्त कार्य**	**विकास कार्य सूची प्रदान नहीं की**
कुल राशि	**973100/-**	**केवल चयनित माह के कार्य**

(iii) निर्माण कार्यों के निष्पादन में निर्माण सामग्री की मानक/मूल्यांकित प्रमात्रा से अधिक खरीद/उपयोग करने के कारण ₹0.64 लाख का अनियमित व्यय

निष्पादित निर्माण कार्यों का चयनित आधार पर अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्यों में निम्नतालिका में दिए गए विवरणानुसार निर्माण सामग्री की तकनीकी मूल्यांकन से अधिक प्रमात्रा की खरीद/उपयोग व् मूल्यांकन से अधिक मजदूरी राशि का भुगतान दर्शाकर **₹64,039** का अधिक व्यय किया गया था, जिस बारे पूर्ण छानबीन उपरान्त उपरोक्त राशि तथा ऐसे अन्य प्रकरणों में पाई गई अधिक व्यय/आहरित राशि सहित की उचित स्रोत से वसूली करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए : –

(1) कार्य:-निर्माण, पैदल पुल,पड़ग खाला {सामान्य निधि}

स्वीकृत राशि:-₹200000 मापन पुस्तिका क्रमांक:-10693, पृष्ठ-95-96

नं	निर्माण सामग्री	रेत (cum)	बजरी (Cum)	पत्थर (Cum)	मजदूरी (₹)
1	खरीद गई मात्रा	15.94	7.55	64.80	52080/-
2	मूल्यांकित मात्रा	13.75	4.44	38	46616/-
3	अधिक खरीद	2.19	3.11	26.8	------
4	खरीद दर (Cum)	2680/-	1411/-	833/-	------
5	**अधिक व्यय (₹)**	**5869/-**	**4388/-**	**22324/-**	**5464/-**

(क) उपरोक्त मदों पर कुल अधिक व्यय/भुगतान ₹38045

(2). कार्य:-सुरक्षा दिवार केदार सिंह/नैन सिंह {सामान्य निधि}

स्वीकृत राशि:-₹150000 मापन पुस्तिका क्रमांक:-10693, पृष्ठ-88

1	खरीद गई मात्रा	------	4.00	79.92	57730/-
2	मूल्यांकित मात्रा	------	2.40	52	54670/-
3	अधिक खरीद	------	1.60	27.92	------
4	खरीद दर (Cum)	------	1400/-	463/-	------
5	**अधिक व्यय (₹)**	**------**	**2240/-**	**12926/-**	**3060/-**

(ख). उपरोक्त मदों पर कुल अधिक व्यय/भुगतान ₹18226

(3). कार्य:-निर्माण साँझा प्रांगण, किणु {सामान्य निधि}

स्वीकृत राशि:-₹100000 मापन पुस्तिका क्रमांक:-10693, पृष्ठ-83-84

1	मजदूरी भुगतान	------	------	------	40760/-

2	मूल्यांकित राशि	------	------	------	32992/-
3	**अधिक व्यय (₹)**	------	------	------	7768/-

(ग). उपरोक्त मद पर कुल अधिक व्यय/भुगतान ₹7768

उपरोक्त कार्यों में कुल अधिक व्यय {क+ख+ग}= ₹64039

12 मनरेगा योजना के अंतर्गत खर्च राशी से सम्बन्धित अनियमितताएँ

(**i) वितीय वर्ष 2015-16 में खर्च ₹9.82 लाख की रोकड़ बही में गणना न करना**

अंकेक्षण को मनरेगा योजना की वितीय वर्ष 2015-16 की रोकड़ बही प्रस्तुत नहीं की गई, जबकि उक्त अवधि में उपलब्ध करवाई गई **Online Financial Statements** के अनुसार **₹9,82146** का ऑनलाइन भुगतान किया गया था I रोकड़ बही के अभाव में वर्णित व्यय को पंचायत की वितीय स्थिति तैयार करते समय शामिल नहीं किया जा सका | इसके अतिरिक्त रोकड़ बही का रख रखाव न करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 की अवहेलना है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित अभिलेख को पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

वर्ष	मजदूरी (₹)	सामग्री (₹)	कुल भुगतान (₹)
2015-16	295532	686614	982146

(**ii) रोकड़ बही में दर्ज राशी व् ऑनलाइन फाइनेंसियल स्टेटमेंन्ट्स के अनुसार भुगतान राशि में ₹12.15 लाख का भारी अन्तर**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत वितीय वर्ष **2016-17** व् **2017-18** में **Online Financial Statements** अनुसार विभिन्न विकास कार्यों हेतु किये गए व्यय/भुगतान की राशी तथा बिल/वाउचर के अनुसार रोकड़ बही में दर्ज व्यय/भुगतान राशी में निम्नतालिकानुसार **₹12,15,426 {ऑनलाइन अधिक भुगतान}** का भारी अन्तर पाया गया है| इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP(Audit)/Shilai/Panog/2018-19-4 दिनांक 23.07.2018 के क्रमांक 4 द्वारा उपरोक्त अनियमितता पंचायत के ध्यान में लाई गई थी जिस के प्रतिउत्तर में सचिव ग्राम पंचायत पनोग ने पत्र संख्या:GP/Panog/Shilai/2018-19-24 दिनांक 30.07.2018 के क्रमांक 4 द्वारा सूचित किया कि उपरोक्त ऑनलाइन अधिक भुगतान रोकड़ बही में व्यय/भुगतान पूर्ण दर्ज न करने के कारण आया है जिस बारे जाँच करके अन्तर के कारणों का पता लगाया जायेगा तथा रोकड़ बही का ऑनलाइन भुगतान के साथ मिलान करके पूर्ण संधारण सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा I अतः अपेक्षित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना करवाई जाए :–

वर्ष	रोकड़ बही में दर्ज कुल व्यय/ भुगतान (₹)	ऑनलाइन फाइनेंसियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल भुगतान (₹)	अन्तर (अधिक भुगतान) (₹)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4) [3-2]**
2016-17	2809377/-	2878513/-	**69136/-**
2017-18	2597305/-	3743595/-	**1146290/-**
कुल	**5406682/-**	**6622108/-**	**1215426/-**

(iii) मनरेगा का अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना

मनरेगा योजना के अन्तर्गत किये गए व्यय से सम्बन्धित अपेक्षित सूचना जैसे विकास कार्यों की सूची, कार्य स्वीकृति/अनुमोदन पत्र, तकनीकी प्राक्कलन, मूल्यांकन शीट्स/मापन पुस्तिका, उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्य मांग पंजिका {Demand Register}, जॉब कार्ड पंजीकरण रजिस्टर, मस्ट्रोल जारी करने का रजिस्टर, सामग्री जारी करने का रजिस्टर तथा सम्पति रजिस्टर इत्यादि अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए, जोकि गम्भीर अनियमितता है क्योंकि वर्णित अभिलेख के अभाव में मनरेगा योजना के अन्तर्गत निष्पादित किये गए विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च की गई राशि का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका I अतः वर्णित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा समस्त अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

13 बिना बिल/वाउचर के ₹1 . 71 लाख का अनियमित भुगतान

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (i) व् (2) के अनुसार पंचायत निधि से किये गए प्रत्येक व्यय/भुगतान हेतु जो वाउचर तैयार किया जायेगा उसमें विक्रेता/ आपूर्तिकर्ता/ प्राप्तकर्ता के बिल को सब-वाउचर के रूप में लगाया जायेगा परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा चयनित मासों में दिए गए व्यय का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नतालिका में दर्शाए गए **₹1,71,028** के आहरण/भुगतान से सम्बन्धित व्यय वाउचर न तो फाइल में उपलब्ध थे और न ही अंकेक्षण को प्रस्तुत किये गये जोकि गम्भीर अनियमितता है क्योंकि इसके अभाव में व्यय/भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका तथा ऐसे में राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता I इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP(Audit)/Shilai/Panog/2018-19-4 दिनांक 23.07.2018 के क्रमांक 6 द्वारा दर्ज अंकेक्षण आपति के प्रतिउत्तर में सचिव ग्राम पंचायत पनोग ने पत्र संख्या:GP/Panog/Shilai/2018-19-24 दिनांक 30.07.2018 के क्रमांक 6 द्वारा सूचित किया कि उक्त व्यय वाउचर उस अवधि के सचिव से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत कर दिए जाएंगे| अतः यह गम्भीर अनियमितता विभाग के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लाई जाती है:-

दिनांक	विवरण	राशि (₹)	रोकड़ बही पृष्ठ सं0
	14th FC		
24.03.17	Purchase of 38 street lights	82372/-	5
26.07.17	Purchase of Gas Connection	5056/-	9
	BRGF		
21.04.15	C/O L/R Kinnu---JCB Charges	36100/-	25
21.04.15	------do-----	47500/-	26
	Total Amount	**₹171028/-**	

14 निर्माण सामग्री की खरीद पर ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान

(i) व्यय का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि **{14th FC}** अनुदान से **निर्माण पाइप लाइन कराणु से पनोग** हेतु मैसर्ज ठाकुर हार्डवेयर स्टोर शिलाई से बिल संख्या;1599 दिनांक 04.03.2017 द्वारा 30 बंडल पाइप @₹1450 प्रति बंडल की दर से खरीद करने पर कुल देय **₹43,500** की अपेक्षा **₹45,675** का भुगतान किया गया था जबकि **₹2175** अधिक था, जिस का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए, अन्यथा ₹2175 की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

(ii) पाइप की उपरोक्त खरीद बंडल में दर्शायी गई है, जबकि निर्माण कार्य में इसकी खपत मीटर में आयेगी, इसलिए 30 बंडल में कितनी मीटर पाइप की खरीद की गई है यह अभिलेख में स्पष्ट नहीं किया गया था| इसके अतिरिक्त अंकेक्षण को उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन, माप पुस्तिका/मूल्यांकन शीट्स इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए, जिसके अभाव में उक्त क्रय पाइप की निर्माण कार्य में खपत बारे पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सकीI अतः इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त अभिलेख को पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

15 निर्माण सामग्री की खरीद से सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पूर्ण विवरण दर्ज न होने के कारण ₹0.10 लाख का सम्भावित अधिक भुगतान

चयनित माह 07/2017 के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य "**Special Repair Residential Quarters ACH, Panog**" हेतु मैसर्ज रोहित भारद्वाज एंड ब्रदर्स, पनोग से बिल संख्या;009 दिनांक 25.06.2017 द्वारा 5 दरवाजे (7x3फुट) ₹7,000 प्रति दरवाजा की दर से तथा 2 खिड़की{6x4फुट} ₹5,000 प्रति खिड़की की दर से क्रय की गई थी I उक्त खरीद की भुगतान दर का आधार व औचित्य तथा निविदाएँ{Quotations} अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए जिसकी अनुपस्थिति में वर्णित व्यय/भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका I चूँकि दरवाजे(7x3फुट) व् खिड़की{6x4फुट} में प्रयुक्त Material की मात्रा लगभग बराबर है, इसलिए दरवाजे की खरीद हेतु खिड़की की खरीद राशि से₹2,000 प्रति दरवाजा {7000-5000} अधिक दर से भुगतान करना औचित्यहीन प्रतीत होता है जिसके फलस्वरूप 5 दरवाजों की खरीद पर ₹10000 का किया गया अधिक व्यय अनियमित है I अतः वर्णित अनियमितता की पूर्ण छानबीन करके तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक भुगतान राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

16 नियमानुसार उचित टैक्स इनवॉइस/बिल प्राप्त किये बिना ₹8.43 लाख का अनियमित व्यय/भुगतान :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (i) व् (2) में विहित प्रावधानानुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित उचित Tax Invoice/बिल उपलब्ध नहीं थे बल्कि चयनित माह में आपूर्तिकर्ता को कोरे कागज पर तैयार कच्ची रसीद/Goods Receipts Note{GR} पर भुगतान पारित करके

उपरोक्त पैरा संख्या: 8 में वर्णित तालिका के अनुसार ₹8.43 लाख का व्यय /भुगतान दर्शाया गया था तथा जिसके कारण किया गया व्यय/भुगतान अनियमित होने के साथ-साथ संदिग्ध भी प्रतीत होता है| अतः वर्णित अनियमितता की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जाँच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए या तो आपूर्तिकर्ता से उक्त भुगतान तथा इस प्रकार के अन्य सभी प्रकरणों से सम्बन्धित उचित बिल {proper Tax Invoice/Bill} व वास्तविक प्राप्ति रसीद प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

17 रोकड़ बही व बिल/वाउचर को प्रधान से सत्यापित /पारित करवाए बिना पंचायत कोष से लाखों रूपये का अनियमित आहरण

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP(Audit)/Shillai/Panog/-2018-19-4 दिनांक 23 .07.2018 क्रमांक (2) द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को सूचित अनियमितता अनुसार अंकेक्षण अवधि 01.04.2015 से 31.03.2016 तक के दौरान अनुदान रोकड़ बहियों में दर्ज किये गए प्राप्ति व भुगतान को प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं पाया गया और न ही व्यय/भुगतान से सम्बन्धित बिल/वाउचर को भुगतान से पूर्व प्रधान द्वारा नियमानुसार सत्यापित/पारित करवाया गया था जिसके कारण पंचायत कोष से लाखों रूपये का दर्शाया गया आहरण/भुगतान, { रोकड़ बही **14^{th}FC,** 26/07/2017 से 31/03/2018 तक प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं पाई गई}, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम (7), (47), (48) व (49) के प्रावधानों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है| पंचायत सचिव ने पत्र क्रमांक GP/Panog/Shillai/-2018-19-24 दिनांक 30.07.2018 के क्रमांक 2 द्वारा उक्त अवधि के बिलों/व्यय वाउचरों तथा रोकड़ बही को प्रधान से सत्यापित करवाने का आश्वासन दिया गया है| अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, तथा भविष्य में उपरोक्त नियमों का सख्ती से पालन करना भी सुनिश्चित किया जाए|

18 मस्ट्रोल को जारी करने तथा उसका अभिलेखन व् अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों का पालन किये बिना ₹0.92 लाख का भुगतान

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 102 (1 से 7) के प्रावधानों के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी द्वारा मुद्रित तथा प्रमाणन उपरान्त जारी मस्ट्रोल ही पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित तकनीकी प्राधिकारी को किसी विकास कार्य में मजदूरों की हाजरी लगाने के लिए मस्ट्रोल जारी करने के रजिस्टर में प्रविष्टि के उपरान्त जारी किये जाएंगे| इन्ही नियमों में यह भी प्रावधित है कि मस्ट्रोल का अभिलेखन व् अनुरक्षण हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की कार्यपध्दति पर किया जायेगा| परन्तु ग्राम पंचायत पनोग द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किये गए मस्ट्रोल का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि उक्त मस्ट्रोल न तो जिला पंचायत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा प्रधान द्वारा सत्यापित व पारित ही किए गए थे और न ही मस्ट्रोल पर करवाए गए कार्य को तकनीकी प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकित ही किया गया था| अतः उक्त नियमों की पालना किये बिना पंचायत द्वारा चयनित माह में निम्नतालिकानुसार ₹91,922 का किया गया भुगतान अनियमित है| जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP(Audit)/Shillai/Panog/-2018-19-4

दिनांक 23 .07.2018 क्रमांक (5) द्वारा पंचायत को अवगत करवाया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रत्युतर प्राप्त नहीं हुआ:–

कार्य का नाम	मस्ट्रोल नं	राशि (₹)	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या
सामान्य निधि			
निर्माण L/R पनोग खाले से पनोग	17	49280/-	39
निर्माण महिला मण्डल भवन, पनोग	19	19712/-	40
निर्माण पैदल पुल पड़ग खाला,पनोग	32	22930/-	77
	कुल भुगतान	**91922/-**	

अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में उक्त वर्णित नियमों का निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित किया जाएI

19 BRGF योजना के अन्तर्गत GSSS, पनोग हेतु खरीदे गए ₹0.32 लाख के फर्नीचर की स्टॉक प्रविष्टि व सम्बन्धित संस्था की प्राप्ति रसीद का अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

चयनित माह 04/2015 में BRGF योजना के अन्तर्गत (रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 25) दिनांक 21.04.2015 को ठेकेदार तुलसी राम एंड संस से कैश मेमो संख्यां: 277 द्वारा 10 स्टील की कुर्सियां @₹1600 प्रति कुर्सी, 30 प्लास्टिक की कुर्सियां @350 प्रति कुर्सी तथा एक ऑफिस अलमारी @ ₹5000 कुल **₹31,500** की खरीद GSSS, पनोग हेतु की दर्शायी गई थी I अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि न तो उक्त फर्नीचर सामग्री की पंचायत के स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की गई थी और न ही GSSS, पनोग के कार्यालय से उक्त सामग्री की प्राप्ति रसीद अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की गई, जिसकी अनुपस्थिति में फर्नीचर खरीद का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका तथा ऐसे में वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता I अतः इस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन उपरान्त वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए I

20 राजीव आवास योजना के लाभार्थियों के संकलित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि चयनित माह 07/2017 में राजीव गाँधी आवास योजना के अन्तर्गत श्री कोंलिया राम पुत्र श्री शंकरु राम को मकान बनाने हेतु दिनांक 15.07.2017 को RTGS द्वारा **₹65,000** की किश्त का भुगतान किया गया था परन्तु इससे सम्बन्धित अभिलेख जैसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित लाभार्थियों की सूची, स्वीकृति पत्र, आवेदन पत्र, मकान बनाये जाने के स्थान की जमाबन्दी/ततीमा व राशि के उपयोग का प्रमाण पत्र इत्यादि अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गए, जिसके अभाव में वर्णित भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका I अतः वर्णित अभिलेख प्रस्तुत न

करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त अभिलेख उचित प्रारूप में तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाएI

21 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित है, जोकि अंकेक्षण से सम्बन्धित अवधि के लिए तैयार व् पारित नहीं किया गया था जिसके कारण पंचायत द्वारा किया गया समस्त व्यय अनियमित है, जिसे अब सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य मे बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार/पारित करवाकर, तदानुसार ही व्यय करना सुनिश्चित किया जाये।

22 पंचायत प्रतिनिधियों व कर्मचारियों को देय मानदेय के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख का सही ढंग से रख-रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 62 (1) व् (2) के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य, चौकीदार, सिलाई प्रशिक्षण अध्यापिका आदि को मासिक मानदेय का भुगतान ग्राम पंचायत निधि तथा सरकार से प्राप्त अनुदान से किया गया था परन्तु पंचायत सचिव द्वारा उक्त भुगतान से सम्बन्धित मानदेय रजिस्टर व सरकार द्वारा अनुमोदित मानदेय की दरों से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज/अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके आभाव में उक्त भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका तथा ऐसे में अधिक भुगतान की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता|

अतः वांछित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए I

23 प्राप्त अनुदान राशि के सम्बन्धित विभाग को रसीद जारी न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत से प्राप्त आय/अनुदान के लिए उपरोक्त नियमों में दिए गए प्रारूप 3 पर रसीद जारी करना आवश्यक है परन्तु पंचायत के लेखाओं का चयनित आधार पर अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों मुख्यतः **RTGS/Online** बैंक प्राप्तियों के लिए उक्त वर्णित नियमानुसार रसीद जारी नहीं की जा रही थी, जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा भविष्य में उक्त वर्णित नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

24 रसीद बुकों के उपयोग से सम्बन्धित अनियमितता बारे

(क) उपयोग की गई रसीद बुकों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (4) व (5) के अनुसार पंचायत सचिव तथा प्रधान द्वारा रसीद बुकों पर गणना से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया था तथा अधिकतर रसीदें बिना तिथि तथा जारीकर्ता के हस्ताक्षर के पाई

गई, और रसीदों पर की गई काट पीट व रद्द करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन भी नहीं किया जा रहा था जोकि गम्भीर अनियमितता है I अतः वर्णित अनियमितता का संज्ञान लेते हुए अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

(ख) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा रसीदों से सम्बन्धित **रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर** का संधारण नहीं किया गया था जिसके कारण ग्राम पंचायत को जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय से प्राप्त उपयोग तथा स्टॉक में शेष बची रसीद बुकों का सही-सही पता नहीं लगाया जा सका| अतः उक्त अभिलेख को नियमानुसार तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख पूर्णतः तैयार कर आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित किया जाए|

25 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 में निर्दिष्ट नियमो की अनुपालना करते हुए पंचायत द्वारा निम्नलिखित रजिस्टरों व् अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया जा रहा है, जोकि गम्भीर अनियमितता है| अतः नियमानुसार उक्त अभिलेख का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये : –

क्रमांक	**वान्छित रजिस्टर/अभिलेख का नाम**
1.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर	
2.	रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी	
3.	चल अचल सम्पत्ति का रजिस्टर	
4.	आकस्मिक व्यय रजिस्टर	
5.	अग्रिमों का रजिस्टर	
6.	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	
7.	प्राक्कलन, तकनिकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर	
8.	मांग व् प्राप्ति रजिस्टर|
9.	स्टेशनरी रजिस्टर|
10.	निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर|
11.	मस्ट्रोल रजिस्टर|
12.	इन्वेंटरी रजिस्टर|

26 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना नहीं की जा रही थी I अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

27 विविध अंकेक्षण आपत्तियां

(i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 व 29 के अंतर्गत पंचायत द्वारा संधारित की गई रोकड़ बहियां तथा खाताबहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा था। इसमें न तो कोई इति शेष और न ही कोई

अंतिम शेष दर्शाया गया था । ऐसी स्थिति में बैंक से किए जा रहे लेन देन पर, रोकड़ बही व बैंक खाते में मौजूद शेष राशि का मिलान, पंचायत द्वारा तैयार की गई आय-व्यय तालिका तथा तुलनपत्र की सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी I अतः रोकड़ वही एवं खाता वहियों का नियमानुसार संधारण सुनिश्चित किया जाए|

(ii) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको में विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्तः हस्ताक्षरित नहीं किया जा रहा था जोकि अनियमित है तथा भविष्य में उक्त वर्णित नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित किया जाए |

(iii) पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 7 की अनुपालना करते हुए प्रत्येक व्यय बिल/वाउचर पर ग्राम सभा द्वारा पारित व्यय की प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं किया जा रहा था, जिस बारे औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में उक्त नियम की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित की जाए|

(iv) व्यय/भुगतान से सम्बन्धित वास्तविक प्राप्त करता रसीद प्राप्त नहीं की जा रही थी, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उचित रसीद प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए|

28 लघु आपत्ति विवरणिका:-यह पृथकता से जारी नहीं की गई तथा सभी लघु आपतियों का स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था I

29 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है |

हस्ता / –
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(x)34 / 2018 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर हि0प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड शिलाई जिला सिरमौर हि0प्र0
4. **पंजीकृत** सचिव, ग्राम पंचायत पनोग, विकास खण्ड शिलाई जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / –
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881